न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी–दीनानाथ बब्बल (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः 20/2025 (जीसीएमएस सं.–2025/111) दायर दिनांक 23.05.2025

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर

——आवेदक

वनाम

श्री राजुराम पुत्र वेगाराम (मालिक एवं विक्रेता) निवासी 240 गोगामेडी मन्दिर के पास वार्ड न. 37 (नया) सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर , मै0 तावणीयां मिष्ठान भण्डार 240 गोगामेडी मन्दिर के पास वार्ड न. 37 सूरतगढ़

——अभियुक्त

परिवाद अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2) (ii)/51

:: निर्णय :: दिनांकः–16/10/2025

1. यह परिवाद आवेदक श्री कंवरपाल सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26(2)(ii)/51 के अन्तर्गत पेश किया है।
2. परिवाद के सक्षेंप में तथ्य इस प्रकार है कि यह है कि परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी का गजट नोटिफिकेशन क्रमांक संख्या प.5 (01) विस्वा/ग्रुप–3/2–5095/2024 दिनांक 28.06.2024 द्वारा अधिसूचित किया है व परिवादी का पदस्थापन एवं कार्य क्षेत्र का आवंटन आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय, राजस्थान, जयपुर के आदेश पत्र क्रमांक आयुक्ता/संस्था/2024/1211 दिनांक 08.07.2024 और संशोधित आदेश पत्र क्रमांक आयुक्ता/संस्था/2024/1225 दिनांक 09.07.2024 द्वारा किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 11.03.2025 को समय 01:30 पी.एम. बजे को मैसर्स तावणीया मिष्ठान भण्डार 240–गोगामेडी मन्दिर के पास वार्ड नं–37 (नया), सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर पर पहुँचा, मौके श्री राजू राम पुत्र श्री बेगा राम (मालिक एवं विक्रेता), निवासी 240–गोगामेडी मन्दिर के पास वार्ड नं–37 (नया), सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर को अपना परिचय देकर संस्थान पर निर्मित लोहे के कढ़ाई में रखे बेसन बुन्दी लड्डू के बारे में जानकारी चाही इस पर विक्रेता ने लोहे के कढ़ाई में रखे लगभग 40 किलोग्राम खाद्य पदार्थ बेसन लड्डू (वनस्पति तेल निर्मित) को आमजन में विक्रय वास्ते होना बताया। इसी खाद्य पदार्थ बेसन लड्डू (वनस्पति तेल निर्मित) में मिलावट का शक होने पर विक्रेता से नमूना जाँच वास्ते खाद्य पदार्थ बेसन लड्डू (वनस्पति तेल निर्मित) का नमूना लेने की इच्छा विक्रेता को फॉर्म न. 5 ए भरकर देते हुऐ व्यक्त की, मौके पर ही विक्रेता को फॉर्म न. 5 ए भरकर दिया। मौके पर फार्म से 5 ए की प्रतियां तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं विक्रेता तथा गवाहान को पढ़कर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा, जिसे राजू राम पुत्र श्री बेगा राम (मालिक एवं विक्रेता) एवं गवाहान ने भी पढ़कर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म स. 5 ए की एक प्रति खाद्यकारोबारकर्ता एवं श्री राजूराम पुत्र श्री बेगा राम (मालिक एवं विक्रेता), को देकर असल पर रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा संस्थान का निरीक्षण कर आम जनता को विक्रय हेतु उपलब्ध खाद्य पदार्थ बेसन लड्डू (वनस्पति तेल निर्मित) 02 किलोग्राम को विक्रेता से खरीद कर लिया। विक्रेता का मौके पर ही उक्त क्रयशुदा खाद्य पदार्थ बेसन लड्डू (वनस्पति तेल निर्मित) का नगद भुगतान 180 रूपये किया तथा कैशमीमो बनवाकर लिया जिस पर विक्रेता तथा गवाहन के हस्ताक्षर हैं और मेरे भी हस्ताक्षर हैं। खरीदशुदा खाद्य पदार्थ बेसन लड्डू (वनस्पति तेल निर्मित) को एकरूप कर बराबर भागों में बांटकर चार बोतलों में भरकर लिया। प्रत्येक बोतल में फार्मेलिन की 40 बूंदे डालकर कसकर ढक्कन बंद किये और चारों बोतलों पर लेबल तैयार कर चिपकाये और लेबलों पर डी.ओ. श्रीगंगानगर के कोड एवं क्रमांक के–2730 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी. ओ श्री गंगानगर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप न के–2730 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्यकारोबरकर्ता एवं विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भागों के पेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर कर सील बन्द चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर खाद्य कारोबारकर्ता एवं निर्माता तथा गवाहान को पढ़कर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे श्री राजूराम पुत्र श्री बेगा राम (मालिक एवं विक्रेता) एवं गवाहान ने भी [illegible] किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा [illegible] कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई [illegible] नमूना [illegible] किया। एक नमूना भाग गय फार्म सं. की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर [illegible] दिवस में खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सूरतगढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Deenanath Babbal
Date: 2025.11.28 12:36:31 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। दो फॉर्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विशलेषक बीकानेर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की दो प्रतियों एव चौथा भाग गय फार्म सं की एक प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो मूल संलग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर के पत्राक क्रमांक/एफएसएसए/2025/479–81 दिनांक 07.04.2025 के अनुसार खाद्य कारोबार कर्ता एवं विक्रेता के द्वारा वास्ते नमूना जाँच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ बेसन लड्डू (वनस्पति तेल निर्मित) का नमूना जांच रिपोर्ट संख्या एलएस.341/एक्ट/2025/341 दिनांक 23.03.2025 सब–स्टैण्डर्ड फूड होना पाया गया। जाँच रिपोर्ट मय अग्रेषित पत्र मूल संलग्न न्याय निर्णयन आवेदन है व इसी पत्रांक द्वारा खाद्य कारोबारकर्ता श्री राजूराम पुत्र श्री बेगा राम (मालिक एवं विक्रेता) को भी जांच रिपोर्ट की प्रति भिजवाई गई एवं जाच से असंतुष्ट होने की स्थिति में पुनः जांच कर आवेदन फार्म 8 में रिपार्ट प्राप्ति से 30 दिन में प्रस्तुत करने हेतु कहा गया, श्री राजू राम पुत्र श्री बेगा राम (मालिक एवं विक्रेता) ने पुनः जांच करने का आवेदन प्रस्तुत नहीं किया। जाँच रिपोर्ट मय अग्रेषित पत्र व खाद्य कारोवारकर्ता आवेदन पत्र मूल संलग्न न्याय निर्णयन आवेदन है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने श्रीमान अभिहित अधिकारी श्रीगंगानगर को दिनांक 16.05.2025 के साथ मूल पत्रावली वास्ते अभियोजन स्वीकृति पेश किया। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस में अभियोजन स्वीकृति पत्र क्रमांक एफएसएसए/2025/669–70 दिनांक 19.05.2025 संस्थित करने हेतु अधिकृत किया है। श्री राजू राम ने खाद्य पदार्थ बेसन लड्डू (वनस्पति तेल निर्मित) सब–स्टैण्डर्ड फूड का विक्रय करके एफ.एस.एस.ए.एक्ट 2006 की धारा 26(2) (ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना एफ.एस.एस.ए. 2006 की धारा–51 में निर्धारित है। अतः उपरोक्त आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त प्रकरण में विकेता को नियमानुसार आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाये। ताकि जनहित में अमानक स्तर (सब स्टैण्डर्ड फूड) के पदार्थो का विक्रय रोका जा सके।

3. इस्तगासा दर्ज रजिस्टर कर अभियुक्त को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभियुक्त सुरेश कुमार पुत्र मघाराम बावजूद पर्याप्त सूचना के आज दिनांक तक हाजिर नहीं आये।
4. पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, बीकानेर की जांच रिपोर्ट संख्या/एलएस/341/एक्ट/2025/341 दिनांक 25.03.2025 में उक्त नमूना "Sub standard food as extracted fat does not conform the stanard of Vanaspati " पाया गया है। उपभोक्ता द्वारा क्रयशुदा खाद्य पदार्थ की विक्रेता को निर्धारित कीमत का भुगतान कर यह अपेक्षा की जाती है कि विक्रेता भी उपभोक्ता की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए मानक स्तर का खाद्य पदार्थ का विक्रय करेगा। परन्तु अभियुक्त द्वारा **Sub Standard food** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2)(ii) का उल्लंघन ही नही किया है अपितु उपभोक्ता एवं विक्रेता के मध्य स्थापित विश्वसनीयता व लोक स्वास्थ्य के साथ खिलवाड भी किया है। अतः प्रकरण में लोक स्वास्थ्य व उपभोगता सुरक्षा के दृष्टिकोण को न्यायहित–लोकहित में मद्धेनजर रखते हुए तथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अभियुक्त श्री राजू राम पुत्र श्री बेगा राम (मालिक एवं विक्रेता), निवासी 240–गोगामेडी मन्दिर के पास वार्ड नं–37 (नया), सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर को राशि 2,00,000 रूपये (दो लाख रूपये) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर एवं अप्रार्थी को पालनार्थ/आगामी कार्यवाही हेतु भिजवायी जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दीनानाथ बब्बल)
न्याय निर्णयन अधिकारी
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सूरतगढ

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सूरतगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Deenanath Babbal
Date: 2025.11.28 12:36:31 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner